HARYANA STATE POLLUTION CONTROL BOARD
C-11, SECTOR-6, PANCHKULA
Ph-0172-2577870-73 E-mail: hspcbho@gmail.com

NOTICE

Whereas, Central Pollution Control Board (CPCB), New Delhi, in view of controlling the air pollution in NCT Delhi and National Capital Region (NCR), issued the directions under Section 18 (1) (b) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 to Haryana State Pollution Control Board (HSPCB) vide letter no. B-29012/IPC-VI/2019/3657 dated 02.07.2019 to issue closure directions to all such industrial units in NCR Delhi, where Piped Natural Gas (PNG) supply is available and industry has not shifted to PNG; and,

Whereas, 13 Districts (i.e. Karnal, Panipat, Sonepat, Jhajjar, Rohtak, Gurugram, Palwal, Faridabad, Rewari, Mewat, Jind, Bhiwani and Charkhi Dadri) of Haryana fall under NCR;

Therefore, in compliance of the directions issued by the CPCB under the provisions of Section 18 (1) (b) of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 and in exercise of the powers under the provisions of 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, all the industries established in above 13 NCR Districts of Haryana where PNG is available and where industries are still operating with any other solid/liquid fuel instead of PNG, are hereby directed to use only PNG as fuel in their industries and use of any other fuel is prohibited, and the compliance of the same along with the details of Air Pollution Control Devices (APCD) be provided to the Regional Officers of HSPCB concerned by the individual unit concerned, within 15 days from the issuance of this notice, failing which closure directions will be issued against the industries, concerned.

Chairman
HSPCB

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड
सी–11, सैक्टर–6, पंचकूला

दूरभाष–0172–2577870–73 ई–मेलः hspcbho@gmail.com

नोटिस

जैसा कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), नई दिल्ली ने एनसीटी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–18 (1) बी के अन्तर्गत हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र क्रमांक B-29012/IPCI-VI/2019-20/3660 दिनांक 02.07.2019 द्वारा एनसीआर दिल्ली के अन्तर्गत उन सभी औद्योगिक ईकाईयों को बन्द करने के निर्देश जारी किये हैं जहां पाईप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) उपलब्ध है और उद्योग को पीएनजी में स्थानांतरित तबदील नहीं किया गया है; और

जैसा कि हरियाणा राज्य के 13 जिलें (करनाल, पानीपत, सोनीपत, झज्जर, रोहतक, गुरूग्राम, पलवल, फरीदाबाद, रेवाड़ी, मेवात, जीन्द, भिवानी, एवं चरखी दादरी) एनसीआर के अन्तर्गत आते हैं,

इसलिए सीपीसीबी द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–18 (1) बी के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुपालना में व धारा–31 ए के प्रावधानो के तहत प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत, सभी ईकाईयों को उपरोक्त हरियाणा के 13 एनसीआर जिलों में जहां पीएनजी उपलब्ध है और जहां ईकाईयां पीएनजी के अलावा दूसरे ठोस/तरल ईंधन द्वारा अभी भी चल रही है, उन उद्योगों को निर्देश दिया जाता है कि वे पीएनजी का प्रयोग अपनी ईकाईयों के लिए करें व अन्य किसी भी प्रकार के ईंधन का प्रयोग प्रतिबन्धित किया जाता है। इन निर्देशों की अनुपालना ईकाईयां सुनिश्चित करें व इसकी अनुपालना रिपोर्ट व वायु प्रदूषण नियंत्रण संयत्र (एपीसीडी) का विवरण एचएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारियों को 15 दिन में प्रस्तुत करें, अन्यथा ईकाईयों के विरूद्ध बन्द करने के निर्देश जारी कर दिये जायेंगे।

अध्यक्ष
एचएसपीसीबी